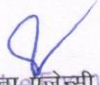


परियोजना का नाम :- मसूरी सीवरेज योजना (आरकेडिया ज़ोन)

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में देय एन0पी0वी0 धनराशि प्रस्तावक विभाग वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।


प्रयोजन इंजीनियर
Construction Division
Uttarakhand Payal Nigam
Mussoorie (Dehradun)

परियोजना का नाम:- जनपद-देहरादून के मसूरी स्थित मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत (आरकेडिया जोन) में एस0टी0पी0 निर्माण हेतु अपेक्षित 0.020है0 नोटिफाईड प्राईवेट फारेस्ट भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.08 एवं 9.5.2008 के अनुसार)

"प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (आरक्षित वन भूमि-0.00 है0 तथा सिविल सोयम वन भूमि/ नोटिफाईड प्राईवेट फारेस्ट भूमि -0.020है0 कुल 0.020 है0) मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28-3-2008 के अनुसार निर्धारित ईको क्लास V के अन्तर्गत आता है।"

उक्तानुसार उक्त वन क्षेत्र का औसत घनत्व 0.1 है। जिस हेतु एन0पी0वी0 की प्रति है0 दर रू0 6,57,000.00 (रू0 छः लाख सत्तावन हजार मात्र) है। उक्त दर के अनुसार एन0पी0वी0 धनराशि का आगणन रू0 13140.00.00 (रू0 तेरह हजार एक सौ चालीस मात्र) है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।


प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन विभाग, मसूरी

